समाहरणालय सिवान
(जिला स्थापना शाखा)
अल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी बिहार, पटना के निदेशानुसार बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वियन हेतु सभी प्रखण्ड–सह अंचल कार्यालय में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 5 KVA का जेनरेटर भाड़े पर अधिप्राप्ति किया जाना है। जेनरेटर के भाड़े की दर निर्धारण हेतु इच्छुक फर्मो/आपुर्तिकर्त्ता के द्वि–लिफाफा प्रणाली में दिनांक–6.2.15 को 5:00 बजे अपराह्न तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 7.2.15 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोली जायेगी। निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति क्रय समिति के समक्ष निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते है।

निविदा की शर्तें :–

(1) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में सीलबंद कर प्रस्तुत किया जायगा। एवं लिफाफे के उपर निविदा का प्रकार यथा "तकनीकी निविदा" या "वितीय निविदा अंकित किया जाय।

(2) तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता के ही वितीय निविदा पर विचार किया जायगा।

(3) तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रखे जायेंगे :

(a) अग्रधन के रूप में 5,000/–(पाँच हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट, जो जिला पदाधिकारी सिवान के पदनाम से भुगतेय होगा।

(b) संबंधित फर्म का सेवा कर के तहत निबंधन एवं अद्यतन देयता संबंधी स्वच्छता प्रमाण पत्र।

(c) आयकर दाता होने का प्रमाण एवं गत वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न की प्रति।

(d) काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी स्वलिखित प्रमाण–पत्र।

(4) वित्तीय निविदा वाले लिफाफे में ऑपरेटर के साथ भाडे पर जनरेटर की आपूर्ति हेतु दो प्रकार का दर यथा "इंधन सहित" एवं "इंधन रहित" दर अंकित किया जाएगा।

(5) निविदा में सफल निविदादाता को कार्यादेश में वर्णित तिथि तक जेनरेटर की आपूर्ति सभी प्रखण्ड कार्यालयों में करनी होगी।

(6) संबंधित फर्म द्वारा आपूरित जेनरेटर के भाड़े का भुगतान सम्बन्धित कार्यालय द्वारा परिचालन के दिनों की संख्या के अनुरूप लॉग बुक के जॉचोपरान्त किया जायेगा।

(7) भुगतान के समय सभी करों की कटौती स्रोत पर की जायगी।

(8) जेनरेटर के ऑपरेटर का भुगतान सम्बन्धित फर्म द्वारा किया जएगा।

(9) जेनरेटर में खराबी आने की स्थिति में उसकी मरम्मति की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी। मरम्मति एक दिन के अन्दर नहीं होने की स्थिति में आपूर्तिकर्त्ता को दूसरे जेनरेटर सेट की आपूर्ति करनी होगी।

(10) अधोहस्ताक्षरी को निविदा किसी भी समय विना कारण बताये स्थगित करने अथवा रद् करने का अधिकार होगा।

12/01/15

EDC
8.1.15

13/1/15

जिला पदाधिकारी,
सिवान।

D:\Establishment-15\Mithlesh\Rajesh Sir\Nivida II doc Mithlesh